

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:-553 / FP/UK/ROAD/36902/2018 देहरादून: दिनांक: 27 अगस्त, 2019

सेवा में,

सचिव,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94 (134) किमी 0.00 से 24.300 (धरासू बैड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिये 5.969 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/36902/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, रा०रा० खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 5.969 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/36902/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट, उत्तरकाशी।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94 (134) किमी 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिये 5.969 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

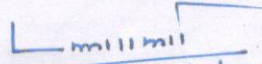
(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/36902/2018)

जनपद-उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94 (134) किमी 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिये 5.969 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 5.566 हे० आरक्षित भूमि एवं 0.403 हे० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 5.969 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-उत्तरकाशी/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:


27/8/19
(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

APCCF & NODAL OFFICER (FC)
UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 27/08/2019

स्थान : देहरादून